समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2019 निगरानी. निगरानी-0454/2019/पन्ना/भू.रा.सं.

विन्दावन दुवेदी पिता जानकारी प्रसाद निवासी –सुहगी तहसील गुनौर जिला पन्ना म.प्र.

............आवेदक

विरूद्ध

विष्णु प्रसाद पिता जानकी प्रसाद निवासी –सुहगी तहसील गुनौर जिला पन्ना म.प्र.

..........अनावेदक

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी आवेदन पत्र अतर्गत धारा 50 एवं सहपठितधारा 8 के तहत म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील गुनौर जिला पन्ना मप्र. के प्रकरण क 01/अ–6/2014–15 मे पारित आदेश दिनांक 3–10–2014 प्रस्तुत है।

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:

1 यहकि ,प्रकरण के संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार है कि आराजी सरा कमाक 374,402,321,432,433,445,450,455,464,465,466,473,652,795,693/4 जु. 692,690,486/107 कुल किता 18 कुल रकवा 7,65 हे भूमि स्थित आराजी बाके ग्राम सुहगी तहसील गुनौर जिला पन्ना में स्थिति है। जिसके भूमि स्वामी आवेदक

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./0454/2019/पन्ना/भू.रा.

विन्दावन दुवेदी विरूध विष्णु प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील गुनौर जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 01/अ-6/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 3/10/2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला पन्ना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 16/7/19 को कलेक्टर जिला पन्ना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 28/5/19 सदस्य	